<u>खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम मोहम्मद आदिल</u>

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी
(पीठासीन अधिकारीः रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.)

आवेदकः–

श्री बाबुलाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।

बनाम

अभियुक्तः–

1. मोहम्मद आदिल पुत्र श्री मोहम्मद साबिर (खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक)
   निवासी– मिल्लत कॉलोनी, आदर्श नगर, मकराना जिला डीडवाना–कुचामन
   फर्म –मैसर्स आदिल किराणा स्टोर, मकराना जिला डीडवाना–कुचामन

प्रकरण संख्या :–02/2024

" अर्न्तगत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम की धारा 26 की उपधारा 2(v) एवं दण्डनीय धारा 58 "

उपस्थितिः–

1. अभियुक्त मोहम्मद आदिल पुत्र श्री मोहम्मद साबिर ।

–:निर्णय :–

दिनांक :– 29.02.2024

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री बाबुलाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.11.2023 को समय 5:00 पी.एम. पर फर्म मैसर्स आदिल किराणा स्टोर, मकराना, पर पॅहुचा। वहां पर खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति मोहम्मद आदिल पुत्र मेहम्मद साबिर, निवासी मिल्लत कॉलोनी, आदर्श नगर, मकराना पर खांद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है।

(2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर एक खुले पीपें में लगभग 10 लीटर सोयाबीन तेल (लूज) आमजन को विक्रय वास्ते रखा हुआ था। उक्त [illegible] को अच्छी तरह से हिला मिला कर एक रूप कर जांच हेतु देखा, [illegible] होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत गवाह के सामने 1600 ग्राम सोयाबीन तेल (लूज) का नमूना वास्ते जांच हेतु तुलवाकर खरीदा जिसकी कीमत खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिकको रू. 1[illegible] नगद (अक्षरे एक सौ सतर रू. मात्र) देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:13:15 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम मोहम्मद आदिल

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी
(पीठासीन अधिकारीः रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.)

आवेदकः–

श्री बाबुलाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।

बनाम

अभियुक्तः–

1. मोहम्मद आदिल पुत्र श्री मोहम्मद साबिर (खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक)
निवासी– मिल्लत कॉलोनी, आदर्श नगर, मकराना जिला डीडवाना–कुचामन
फर्म –मैसर्स आदिल किराणा स्टोर, मकराना जिला डीडवाना–कुचामन

प्रकरण संख्या :–02 / 2024

" अर्न्तगत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम की धारा 26 की उपधारा 2(v) एवं दण्डनीय धारा 58 "

उपस्थितिः–

1. अभियुक्त मोहम्मद आदिल पुत्र श्री मोहम्मद साबिर ।

–:निर्णय :–

दिनांक :– 29.02.2024

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री बाबुलाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.11.2023 को समय 5:00 पी.एम. पर फर्म मैसर्स आदिल किराणा स्टोर, मकराना, पर पंहुचा। वहां पर खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति मोहम्मद आदिल पुत्र मेहम्मद साबिर, निवासी मिल्लत कॉलोनी, आदर्श नगर, मकराना पर खांद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है।

(2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर एक खुले पीपें में लगभग 10 लीटर सोयाबीन तेल (लूज) आमजन को विक्रय वास्ते रखा हुआ था। उक्त सोयाबीन तेल को अच्छी तरह से हिला मिला कर एक रूप कर जांच हेतु देखा, जिसके अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत गवाह के सामने 1[illegible] सोयाबीन तेल (लूज) का नमूना वास्ते जांच हेतु तुलवाकर खरीदा जिसकी [illegible] रू. 170/–नगद (अक्षरे एक सौ सतर रू. मात्र) देकर रसीद प्राप्त [illegible] पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:13:15 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिकके हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(3) यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर प्रपत्र 5ए की प्रतिया तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक को पढकर, सुनाकर एंव समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर मोहम्मद आदिल एंव गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। प्रपत्र 5ए देने से पहले खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक को बता दिया था कि यह सोयाबीन तेल (लूज) का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(4) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक व गवाहान को प्लास्टिक के के चार साफ सूखें एंव खाली बोतल दिखाकर, उक्त खरीदशुदा सोयाबीन तेल (लूज) को चार बराबर–बराबर भागों में बाटकर चारों साफ सूखी एंव खाली बोतलो में बराबर–बराबर मात्रा में डाला फिर इन चारों नमूना बोतलों के ढक्कन एयर टाईट बन्द किये, जिस पर श्रीमान डीओ एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के कोड व सिरियल न. Q–2678, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ सोयाबीन तेल (लूज) के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमाक को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वंय मैने भी हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता मोहम्मद आदिल एवं गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है।

(5) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की छः प्रतियां तैयार की व प्रत्येक पर नमूना सील लगाई, जिससे नमूना को सील की थी। दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को अगले कार्य दिवस को देकर रसीद प्राप्त की तथा शेष नमूने डिब्बें मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर [illegible] सील मोहर कर डीओ एव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को अगले [illegible] को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(6) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2023/896 दिनांक 22.11.2023 के द्वारा जांच

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gaur
Date: 2025.12.31 13:13:15 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम मोहम्मद आदिल

रिपोर्ट संख्या LS/1702/Act/2023/1700 दिनांक 09.11.2023 के द्वारा मालूम हुआ कि मेरे द्वारा लिया गया सोयाबीन तेल (लूज) का नमूना Q-2678 is Contravention of Regulation No. 2.3.14(15) of Food Safety and Standard (Prohibition and Restrictions on sales) Regulation 2011, because it sold in Loose Condition होना पाया गया है। उक्त नमूने की पत्रावली आवेदक द्वारा अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत कि गयी एवं खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट की एक प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक को प्रेषित करते हुए अधिनियम की धारा 46(4) के तहत अपील करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से पत्र क्रमांकः–चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2023/896 दिनांक 22.11.2023 प्रेषित किया। जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8 में जांच रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

(7) प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ सोयाबीन तेल (लूज) को खुली अवस्था में विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य है। जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन ने स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, कुचामनसिटी के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ सोयाबीन तेल (लूज) का खुली अवस्था में विक्रय किया जो अधिनियम के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

(8) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई दिनांक 27.02.2024 को खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक मोहम्मद आदिल ने उपस्थित होकर बताया कि जिस सोयाबीन तेल (लूज) का नमूना जांच के लिए लिया गया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार खुली अवस्था में बेचा जाना पाया गया। जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे खुली अवस्था में सोयाबीन तेल का बैचान नहीं करने के बारे में जानकरी नहीं थी। निवेदन करता हूं कि आगामी समय में कभी ऐसी गलती नहीं होगी।

(9) प्रकरण में तथ्यों पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान अजमेर के FORM B रिपोर्ट नं. L.S/1702/Act/2023/1700 दिनांक 09.11.2023 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:–

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:13:15 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

Opinion- The sample of Refined **Soyabean Oil** bearing Code No. and Sr. No. Q- 2678 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Nagaur **is prohibited as it Contravenes to Regulation No. 2.3.14.(15)** of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011 **because it sold in loose condition.**

अतः खाद्य कारोबारकर्ता मोहम्मद आदिल से वास्ते क्रय किया गया खाद्य पदार्थ सोयाबीन तेल(लूज) नमूना नं. Q–2678 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत खुली अवस्था में विक्रय करना पाया गया है, जिसमें अभियुक्त ने विक्रय निषिद्ध घोषित किये, खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बधन) विनियम 2011 के तहत खाद्य पदार्थ सोयाबीन तेल(लूज) को खुली अवस्था में विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में निर्धारित है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) इस प्रकार हैः–

धारा 26ः– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्वः–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु काः–

(v) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंधन में, स्वयं विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगाा या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कराएगा।

धारा–58

जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्ही भी उपबंधों का उल्लंधन करता है जिसके लिए इस अध्याय में कोई पृथक शास्ति उपबंधित नहीं है, शास्ति का, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

(10) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2023/896 दिनांक 22.11.2023 से उक्त को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है, किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। अतः उक्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ सेम्पल Q-2678 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन पाया गया जो इसी अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। इस प्रकार खुली अवस्था में खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु खाद्यकारोबारकर्ता फर्म मालिक मोहम्मद आदिल फर्म–मैसर्स आदिल किराणा स्टोर, मकराना निवासी– मिल्लत कॉलोनी, आदर्श नगर, मकराना दोषी व उतरदायी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:13:15 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम मोहम्मद आदिल

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत अभियुक्त मोहम्मद आदिल पुत्र मोहम्मद साबिर फर्म–मैसर्स आदिल किराणा स्टोर, मकराना निवासी– मिल्लत कॉलोनी, आदर्श नगर, मकराना पर राशि रुपये 7000/–(अक्षरे रुपये सात हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अभियुक्त को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अभियुक्त से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे। मिसल वास्ते इन्तजार चालान/डीडी जुर्माना राशि के आईन्दा दिनांक 28.03.2024 को पेश हो।

(11)आदेश दिनांक 29.02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

28/02/2024

(रवीन्द्र कुमार)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं

अति0 जिला कलक्टर, कुचामनसिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour

Date: 2025.12.31 13:13:15 IST

Reason: SelfAttested